

## कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद गोण्डा दिनांक 19.10.2020

### शांतिभंग की आशंका के मद्देनजर पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही—

जनपदीय पुलिस द्वारा विभिन्न मामलों में शान्ति भंग की आशंका के मद्देनजर जनपद के विभिन्न थानों से कुल-25 व्यक्तियों को अर्न्तगत धारा-151/107/116 सीआरपीसी में गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया तथा भारी से भारी जमानत मुचलके से पाबन्द कराया गया।

### अवैध शराब के निष्कर्षण, बिक्री व परिवहन के विरुद्ध जनपदीय पुलिस द्वारा की गई कार्यवाही—:

#### 01. थाना वजीरगंज द्वारा की गयी कार्यवाही—

01. मंगल उर्फ पप्पू पुत्र जगलाल नि० सराय खत्री थाना वजीरगंज जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०-321/20, धारा 60 आबकारी अधि० के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

#### 02. थाना उमरीबेगमगंज द्वारा की गयी कार्यवाही—

01. प्यारे पुत्र विशेषर नि० चौटाही थाना उमरीबेगमगंज जनपद गोण्डा के कब्जे से 20 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०-229/20, धारा 60 आबकारी अधि० के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

#### 03. थाना मोतीगंज द्वारा की गयी कार्यवाही—

01. राम चन्दर पुत्र गयादीन नि० छाछ पारा कानूनगों थाना मोतीगंज जनपद गोण्डा के कब्जे से 05 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०-267/20, धारा 60 आबकारी अधि० के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

#### 04. थाना को० देहात द्वारा की गयी कार्यवाही की गयी—

01. मोना देवी सोनकर पत्नी नगीना सोनकर नि० खमहरिया हरिवंश थाना को० देहात जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०-433/20, धारा 60 आबकारी अधि० के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

#### छेडछाड करने का आरोपी अभियुक्त गिरफ्तार—

गोण्डा। सोमवार जनपद गोण्डा के थाना धानेपुर पुलिस ने छेडछाड करने के आरोपी अभियुक्त शिवम नाई पुत्र बजरंगी नि० जोड़ावन नाऊ पुरवा मौजा रेतवागाढा थाना धानेपुर जनपद गोण्डा को थाना धानेपुर में पंजीकृत मु०अ०सं०-315/20, धारा 354क,504.506 भादवि, 7/8 पाक्सो एक्ट व 67 आई०टी० एक्ट के तहत गिरफ्तार कर लिया गया।

उक्त अभियुक्त ने दिनांक 30.09.2020 को थाना धानेपुर क्षेत्र की रहने वाली एक लड़की के साथ छेडछाड किया था विरोध करने पर गाली-गुप्ता देते हुए जानमाल की धमकी दी थी तथा वादी की पुत्री की फोटो सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया था। जिसके सम्बन्ध में वादी द्वारा दिनांक 14.10.2020 को थाना धानेपुर में उक्त अभियुक्त के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत कराया

गया था। जिसमे धानेपुर पुलिस ने कार्यवाही करते हुए उक्त आरोपी अभियुक्त को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना कर दिया गया।

### अवैध तमंचा बरामद, 01 अभियुक्त गिरफ्तार—

#### गिरफ्तार अभियुक्त—

01. आलोक जयसवाल पुत्र रामअचल नि० बूढा देवर बभनी कानूनगो थाना को० नगर जनपद गोण्डा।

#### पंजीकृत अभियोग—

01. मु०अ०सं०—800/20, धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना को० नगर जनपद गोण्डा।

#### बरामदगी—

01. 01 अदद अवैध तमंचा 12 बोर मय 01 अदद जिन्दा कारतूस।

#### संक्षिप्त विवरण—

दिनांक 18/19.10.2020 की रात्रि थाना को० नगर के उ०नि० आशीष कुमार मय हमराह फोर्स के साथ क्षेत्र भ्रमण में रवाना थे कि मुखबिर खास की सूचना पर उक्त अभियुक्त को आवास विकास कालोनी से गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 01 अदद अवैध तमंचा 12 बोर मय 01 अदद जिन्दा कारतूस बरामद किया गया। अभियुक्त को गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना को० नगर में अभियोग पंजीकृत कर माननीय न्यायालय रवाना कर दिया गया।

#### गिरफ्तार कर्ता टीम—

01. उ०नि० आशीष कुमार।
02. उ०नि० सर्वजीत गुप्ता।
03. उ०नि० राम आशीष मौर्या
03. का० नरेन्द्र यादव।

### अवैध पटाखे व विस्फोटक पाउडर के साथ 02 अभियुक्त गिरफ्तार—

#### गिरफ्तार अभियुक्तगण—

01. असगर अली वारिस पुत्र मो० हसन नि० कटहरिया उत्तरी थाना खरगूपुर जनपद गोण्डा।
02. मो० हासिम पुत्र मो० हसन नि० कटहरिया उत्तरी थाना खरगूपुर जनपद गोण्डा।

#### पंजीकृत अभियोग—

01. मु०अ०सं०—212/20, धारा 9ख विस्फोटक अधि० थाना खरगूपुर जनपद गोण्डा।

## बरामदगी—

01. 1060 पटाखे/सुतली बम।
02. 09 बण्डल में 9000 छुर छुरी।
03. 01 किलो मिश्रित विस्फोटक पाउडर।
04. 01 किलो ऐल्युमोनियम पाउडर।

## संक्षिप्त विवरण—

दिनांक 18.10.2020 को थाना खरगूपुर के व0उ0नि0 विनय कुमार पाण्डेय मय हमराह फोर्स के साथ क्षेत्र भ्रमण में रवाना थे, कि जरिए मुखबिर खास सूचना प्राप्त हुई कि मोहल्ला दर्जी पूर्वी में असगर अली के मकान में अवैध रूप से पटाखों का निर्माण व विक्रय किया जा रहा है। मुखबिर खास की सूचना पर पुलिस बल द्वारा मौके पर जाकर उक्त अभियुक्तगणों को गिरफ्तार कर भारी मात्रा में अवैध पटाखे व बनाने की सामग्री बरामद किया गया। अभियुक्तगणों को थाना खरगूपुर में विस्फोटक अधि0 के तहत अभियोग पंजीकृत कर माननीय न्यायालय रवाना कर दिया गया।

## गिरफ्तार कर्ता टीम—

01. व0उ0नि0 विनय कुमार पाण्डेय।
02. उ0नि0 अरविन्द वर्मा
03. का0 देवेन्द्र प्रताप सिंह।
04. का0 सोमपाल मौर्य।